संख्या - 115/2025/872/35-4-2025/35-4099/119/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2025

विषय – जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-07/2021/28/35-4-2021 दिनांक 14 जनवरी, 2021 द्वारा ''जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड मिठवल में बघनी घाट से विमोहा घाट तक राप्ती नदी पर सेतु लम्बाई 212.55 मी0 पहुॅच मार्ग (दोनों तरफ 200-150 मी0) अतिरिक्त पहुॅच मार्ग (दोनों तरफ 280 मी0) तथा सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण'' हेतु रू0 1938.49 (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 484.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस कार्य हेतु सेतु निर्माण/सुरक्षात्मक कार्य/पहुँच मार्ग से सम्बन्धित कार्य के लिये उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग के लिये लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसके उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या -104/2022/283/35-4-2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 द्वारा रू0 484.62 लाख तथा शासनादेश संख्या-16/2023/24/35-4-2023/001-35-4099/119/2022, दिनांक 04 जनवरी, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 484.62 लाख एवं शासनादेश संख्या - 298/2024/1208/35-4-2024/35-4099/119/2022, दिनांक 28 नवम्बर, 2024 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 421.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अब तक लागत के सापेक्ष रू0 1869.19 लाख धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्रांक-681/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0यो0/2024-25, दिनांक 04.09.2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुए एवं टेण्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 19.70 लाख (रूपये उन्नीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध	बचत के उपरान्त कार्य	पूर्व में अवमुक्त	अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		बचत	की कुल लागत	धनराशि	
जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज विकास खण्ड मिठवल में बघनी घाट से विमोहा घाट तक राप्ती नदी पर सेतु लम्बाई 212.55 मी0 पहुँच मार्ग (दोनो तरफ 200-150 मी0) अतिरिक्त पहुँच मार्ग (दोनो तरफ 280 मी0) तथा सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	48.28	16.51	31.77	12.07	19.70

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 2021, दिनांक 29 मार्च, 2022, दिनांक 04 जनवरी, 2023 एवं दिनांक 28 नवम्बर, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,70,000/- (रूपये उन्नीस लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-115/2025/872(1)/35-4-2025/35-4099/119/2022, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, बस्ती मण्डल ।
8. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
9. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
14. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम सेतु निर्माण इकाई बस्ती।
15. संबंधित अधिशासी अभियंन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
16. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
17. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।